

## प्रेस नोट थाना दियोरिया कलां जनपद पीलीभीत दिनांक 14.09.22

"थाना दियोरिया कलां पुलिस ने सूचना मिलने के 24 घंटे के अंदर अपहरण की घटना का खुलासा करते हुए अपहृत को बरामद कर 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार"

### घटना का संक्षिप्त विवरण-

थाना दियोरिया कलां क्षेत्र के ग्राम जमुनिया महुआ थाना दियोरिया कलां जनपद पीलीभीत के डेविड कुमार पुत्र परमेश्वरी दयाल ने दिनांक 13.09.2022 को समय 00.10 बजे यूपी-112 को सूचना दी कि मेरे भाई एवन कुमार जिसकी उम्र 18 वर्ष है जो कि दिनांक 12.09.2022 सुबह 11.00 बजे से गायब है काफी तलाश किया किन्तु नहीं मिल पाया है। उक्त सूचना के आधार पर थाना हाजा पर मु0अ0स0 268/2022 धारा 365 आईपीसी पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु क्षेत्राधिकारी बीसलपुर के नेतृत्व में 04 टीमों का गठन किया गया व एसओजी की टीम को भी घटना के अनावरण हेतु लगाया गया। पुलिस टीमों द्वारा अथक प्रयास करते हुए सूचना मिलने के 24 घंटे के अंदर ही अपहृत एवन कुमार को समय 08.20 बजे दिनांक 13.09.2022 को वन विभाग के जंगल पसगवां बीट से मजरूब स्थिति में बरामद किया गया व घटना में संलिप्त अभि0गण 1. दीपक शर्मा पुत्र बीरेन्द्र 2. विपिन पुत्र ओमप्रकाश निवासीगण ग्राम अठाना थाना भुता जनपद बरेली को गिरफ्तार किया गया।

### पूछताछ का विवरण-

अपहृत एवन कुमार से पूछताछ से ज्ञात हुआ कि एवन कुमार व दीपक शर्मा पुत्र बीरेन्द्र नि0 ग्राम अठाना थाना भुता जनपद बरेली हरियाणा के ग्राम जौरासी में साथ साथ मजदूरी करते थे। कुछ समय पहले ही एवन कुमार के पिता परमेश्वरी दयाल की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गयी थी जिनके बीमे का पैसा एवन कुमार के परिवारीजन के खातों में आया था। एवन कुमार के खाते में कुल 75,000/- रुपये आये थे जो कि खाते में पड़े थे। जब एवन कुमार और दीपक

शर्मा हरियाणा में थे तब एक दिन एवन कुमार अपने मोबाईल के फोनपे एप से अपने मोबाईल को रिचार्ज कर रहा था तब दीपक शर्मा साथ में था जिसने एवन कुमार के फोनपे का पिन/पासवर्ड देख लिया था तथा खाते में पड़े पैसे 75000/- रुपये भी देख लिये थे। एवन कुमार ने वापस घर आने पर खाते में पड़े 75000/- रुपयों में से 30,000/- रुपये निकालकर अपनी मां को दिये थे। दिनांक 12.09.2022 को एवन कुमार अपने बाल कटवाकर घर आया था समय 09.00 बजे दीपक शर्मा का फोन आया और बोला कि आज घूमने चलते हैं और दारू पीते हैं, तब एवन कुमार ने कहा कि मैं दारू नहीं पीता हूँ तो दीपक शर्मा ने कहा तू कोल्ड्रिन्क पी लेना, तब समय 10.30 बजे दीपक शर्मा का फोन आया और एवन कुमार पैदल पैदल घर से निकला रास्ते में गांव का कमलेश कुमार पुत्र बीरेश पाल मिला वो साईकिल से जा रहा था उसकी साईकिल पर बैठकर एवन कुमार स्कूल तक गया और फिर नहर पर दीपक शर्मा पुत्र बीरेन्द्र व विपिन पुत्र ओमप्रकाश निवासीगण ग्राम अठाना थाना भुता जनपद बरेली मिले जिन्होंने कहा कि किसी ने आते तो नहीं देखा तब एवन कुमार को शक हुआ और एवन कुमार पीछे हटने लगा, तब दोनों ने एवन कुमार को जबरदस्ती गाड़ी पर बैठा लिया और रास्ते में फोन चुरा लिया तथा सिद्धबाबा मन्दिर के पास आये और जहां दीपक व विपिन ने दारू पी और एवन कुमार को कोल्ड्रिन्क जबरदस्ती पिलायी तब एवन कुमार ने देखा कि उसके पास मोबाल नहीं है तो एवन कुमार ने मोबाईल मांगा तो दोनों बोले कि मोबाईल अभी देते हैं तथा तब दोनों एवन कुमार को जंगल में ले गये और एक मचान के पास आकर मचान में से एक डण्डा निकालकर जान से मारने की नियत से एवन कुमार के सिर में मारा जिससे एवन कुमार बेहोश हो गया। दोनों एवन कुमार को मरा समझकर वहां से भाग गये। उक्त घटना की विवेचना से मुकदमा उपरोक्त में धारा 364/307/382 आईपीसी की मुकदमा उपरोक्त में वृद्धि की गयी तथा धारा 365 आईपीसी का बिलोप किया गया एवं मुकदमा उपरोक्त में अभिगण 1. दीपक शर्मा पुत्र बीरेन्द्र 2. विपिन पुत्र ओमप्रकाश निवासीगण ग्राम अठाना थाना भुता जनपद बरेली का नाम प्रकाश में लाया गया तथा एवन कुमार का मेडीकल परीक्षण कराने हेतु अस्पताल भेजा गया तथा आज दिनांक 14.09.2022 को अभिगण 1. दीपक शर्मा पुत्र बीरेन्द्र 2. विपिन पुत्र ओमप्रकाश निवासीगण ग्राम अठाना थाना भुता जनपद बरेली को बड़ागांव नहर पुल से समय 07.20 बजे गिरफ्तार किया गया

तथा उनसे घटना में प्रयुक्त मोटरसाईकिल व अपहर्त एवन कुमार का चुराया हुआ मोबाईल बरामद किया जिसके आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 आईपीसी की बृद्धि की गयी तथा अभि०गण की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त डण्डा जंगल से बरामद किया गया। अभि०गण से पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि अभि०गण के द्वारा एवन कुमार का मोबाईल पैसे ट्रान्सफर करने हेतु चुराया तथा घटना का किसी को पता न चले इस कारण जान से मारने की नियत से डण्डों से एवन कुमार के सिर में प्रहार किया तथा एवन कुमार के मोबाईल के फोनपे/पेटीएम से पैसा ट्रान्सफर किया गया। मुकदमा उपरोक्त की घटना में अपहृत एवन कुमार के मोबाईल के फोनपे का पिन/पासवर्ड चुराने के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 66(सी) आईटी एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी। उक्त घटना गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर अभि०गण 1. दीपक शर्मा पुत्र बीरेन्द्र 2. विपिन पुत्र ओमप्रकाश निवासी गण ग्राम अठाना थाना भुता जनपद बरेली का चालान मा० न्यायालय पीलीभीत किया जा रहा है।

### गिरफ्तार अभियुक्त के नाम:-

1. दीपक शर्मा पुत्र बीरेन्द्र निवासी ग्राम अठाना थाना भुता जनपद बरेली ।
2. विपिन पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम अठाना थाना भुता जनपद बरेली ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. दीपक शर्मा पुत्र बीरेन्द्र निवासी ग्राम अठाना थाना भुता जनपद बरेली ।  
मु०अ०स० 268/2022 धारा 364/307/382/411 आईपीसी व 66(सी) आईटी एक्ट
2. विपिन पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम अठाना थाना भुता जनपद बरेली ।  
मु०अ०स० 268/2022 धारा 364/307/382/411 आईपीसी व 66(सी) आईटी एक्ट

## बरामदगी –

1. एक अदद मोसा HF DELUXE व रंग काला UP25CL9141 चेसिस नं० MBLHAR231JHJ02633 व इंजन नं० HA11ENJHJ02856
2. एक मोबाइल oppo रंग फेंटसी व्हाइट मॉडल CPH 2015 IMEI NO 867498041276773 व 867498041276765
3. घटना में प्रयुक्त डण्डा ।

## गिरफ्तार एवं बरामदगी करने वाली टीम के नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री रामसेवक थाना दियोरिया कलां जिला पीलीभीत ।
2. नि० श्री मुजम्मिल खां थाना दियोरिया कलां जिला पीलीभीत ।
3. उ०नि० श्री सूरज सिंह थाना दियोरिया कलां जिला पीलीभीत ।
4. उ०नि० श्री संजीव कुमार थाना दियोरिया कलां जिला पीलीभीत ।
5. हे०का० 334 ज्ञानचन्द्र थाना दियोरिया कलां जिला पीलीभीत ।
6. क०आ० निकेत कुमार वर्मा थाना दियोरिया कलां जिला पीलीभीत (सीसीटीएनएस तथा टैक्नीकल सपोर्ट)
7. का० 1321 अमन अवस्थी थाना दियोरिया कलां जिला पीलीभीत ।
8. का० 100 आकाश चौधरी थाना दियोरिया कलां जिला पीलीभीत ।
9. म०का० 062 स्वाति जोशी थाना दियोरिया कलां जिला पीलीभीत ।
10. म०का० 325 रचना थाना दियोरिया कलां जिला पीलीभीत ।